



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5B/Budget- D/A/04(2015-16) - 2109

दिनांक: 22.6.15

प्रेषक: बी०सी० निगम, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), भाग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29/ बी०टी०ई०-18/2014-15 /300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-7/यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 एवं आपका कार्यालय पत्रांक 438, दिनांक 29.05.2015।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "01-निदेशन एवं प्रशासन" उपशीर्ष के 13-देशीय यात्रा व्यय इकाई में रू० 30,000/- (तीस हजार) का आवंटन दी जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी०टी०ई०-18/2014-15 /300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-7/यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-4-05/98 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
- रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/ 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BEDDA/01-15-16/28B की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु०-यथो०:

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

झारखण्ड, राँची

ofc

